



राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, महिला अधिकारिता
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

☎ 0141- 2716451 ☎ 0141-2716402, 2716452

ई-मेल:- adwecell.we@rajasthan.gov.in



अतिआवश्यक

क्रमांक:-एफ 19(1) नि.म.अ. / प्रशिक्षण / 2020 / 17301

दिनांक:- 31-8-2020

उपनिदेशक / सहायक निदेशक,
महिला अधिकारिता,
जिला-समस्त।

विषय:- नव नियुक्त सुपरवाइजर्स का दिनांक 04.09.2020 को विडियों कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से अर्द्धदिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण आयोजन के संबंध में।

आप द्वारा नव नियुक्त सुपरवाइजर्स को विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में व्यावहारिक मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण दिया जा रहा होगा। इन सुपरवाइजर्स कि कार्य क्षमता वर्द्धन हेतु आवासीय प्रशिक्षण के स्थान पर विडियों कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से अर्द्धदिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 04.09.2020 प्रातः 11.00 बजे से 2.00 बजे तक आयोजित किया जायेगा।

अतः इस प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु इन नव नियुक्त सुपरवाइजर्स को आपके जिले में ब्लॉक स्तर पर या पंचायत समिति के किसी भी भारत निर्माण राजीव गॉंधी सेवा केन्द्रों पर उपस्थिति हेतु निर्देश जारी करें। आप द्वारा संबंधित ब्लॉक के सीडीपीओ से समन्वय करते हुए इन केन्द्रों पर संबंधित सुपरवाइजर्स की उपस्थिति लेना सुनिश्चित किया जावे। आप भी किसी एक केन्द्र पर इस कार्यक्रम में उपस्थित रहना सुनिश्चित करें। उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में कोविड-19 दिशा-निर्देशों का पालन कराते हुए सामाजिक दूरी एवं स्वच्छता सुनिश्चित करावे।

भवदीया

(रश्मि गुप्ता)

आयुक्त, महिला अधिकारिता

दिनांक:- 31-8-2020

क्रमांक:-एफ 19(1) नि.म.अ. / विविध / 2020 / 17302-04

प्रतिलिपि:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला बाल विकास, राजस्थान सरकार।
3. निदेशक समेकित बाल विकास को प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्त हेतु संबंधित ब्लॉक के सीडीपीओ को निर्देशित कराने का श्रम करावे।

गार्ड फाईल।

आयुक्त, महिला अधिकारिता

नव नियुक्त सुपरवाइजर, महिला अधिकारिता का आधारभूत प्रशिक्षण, वी.सी. आमुखीकरण कार्यक्रम- सितम्बर प्रथम सप्ताह 2020

प्रारम्भिक उद्बोधन माननीय मंत्री महोदया, मबावि शासन सचिव, मबावि आयुक्त, महिला अधिकारिता 11.00-11.10		
समय	विषय	प्रभारी अधिकारी
11.10-11.40	<ul style="list-style-type: none"> राजकीय कार्यप्रणाली, व्यवहार, महिला अधिकारिता:- प्रशासनिक ढांचा, उद्देश्य, विभागीय प्राथमिकतायें (2020-21) सुपरवाइजर कर्तव्य साथिन कार्य 	अतिरिक्त निदेशक, मअ कार्यक्रम निदेशक, मुख्यालय
11.40-12.40	<ul style="list-style-type: none"> आई.एम.शक्ति योजनायें बीबीबीपी योजना राजश्री योजना महिला शक्ति केन्द्र बाल विवाह रोकथाम 	अति० निदेशक, एस०एच०जी० उपनिदेशक, एस०एच०जी० सहायक निदेशक, एस०एच०जी० राज्य समन्वयक (SRCW)
12.40-1.10	<ul style="list-style-type: none"> सामूहिक विवाह किशोरियों के लिए योजना 	कार्यक्रम निदेशक, मीडिया
1.10-1.40	<ul style="list-style-type: none"> महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र वन स्टॉप सेन्टर/सखी केन्द्र जिला महिला सहायता समिति महिलाओं को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम घरेलु हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 महिला हैल्पलाइन 181 झायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015 	उपनिदेशक, महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ सहायक निदेशक, महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ
1.40-1.50	सामान्य लेखा पद्धति, सेवा नियम	वित्तीय सलाहकार, मअ
1.50-2.00	मूल्यांकन सत्र	अतिरिक्त निदेशक, मअ